

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/गुप-8/2015

जयपुर, दिनांक :- 15.12.2015

बैठक सूचना

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, (राजस्थान)।
- 2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, (राजस्थान)।

विषय – दिनांक 30.12.2015 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2015 को प्रातः 10:00 बजे से 06:00 बजे तक शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलों के योजना प्रभारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस रखी गयी है। विडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम निम्नानुसार है :-


क. सं.	समय	अध्यक्षता	भाग लेने वाले अधिकारी	विषय जिन पर चर्चा की जानी है।
1	प्रातः 10:00 से 01:30 बजे तक	श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, निदेशक, मिड-डे-मील, वाटरशैड एवं समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं योजना प्रभारी जिला परिषद	जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण योजना, मिड-डे-मील योजना, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) टीएफसी, एसएफसी, अनटाईड फण्ड, आरजीपीएसए, बीआरजीएफ, नाबार्ड-आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, किसान सेवा केन्द्र मुख्यालय से नियुक्त जिला प्रभारियों की निरीक्षण रिपोर्ट (फीडबैक) पर चर्चा
2	मध्याह्न 02:30 से 06:00 बजे तक	श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त महानरेगा, निदेशक, सामाजिक अकेक्षण एवं समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ADPC (MGNREGA) एवं योजना प्रभारी जिला परिषद	महानरेगा, सामाजिक अकेक्षण, IWMS, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाएं-डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी, आवासीय योजनाएं (Convergence Issues) स्व-विवेक जिला विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (SECC-2011), श्री योजना, गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना सांसद / मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना मुख्यालय से नियुक्त जिला प्रभारियों की निरीक्षण रिपोर्ट (फीडबैक) पर चर्चा

(नोट :- दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लन्च ब्रेक)

P.T.O


Anil/E/VC Letter

कृपया योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जाना सुनिश्चित करें। गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 18.11.2015 की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 22.12.2015 तक जरिये ई-मेल pdme2k_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(सी. एल. वर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 निजी सचिव, निदेशक, मिड-डे-मील, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 8 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-2), पंचायती राज विभाग।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 10 निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
- 11 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
- 12 संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
- 13 निम्न समस्त योजना प्रभारियों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजकर लेख है कि विडियो कांफ्रेंस में आपकी योजना/विभाग को आवंटित समय पर अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।
 - i. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
 - ii. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस./एसएपी-एसएस/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।
 - iii. अति. मुख्य अभियन्ता एवं परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी-सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
 - iv. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।
 - v. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
 - vi. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
 - vii. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 14 श्री श्रीपाल यादव, एनआईसी (वीसी प्रोग्राम) मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 30.12.2015 को प्रातः 10:00 बजे से सायः 6:00 बजे तक समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु आवश्यक व्यवस्था करवाने का श्रम करें।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)